UPFR040125662026

न्यायालय - न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय सं० 4, फर्रुखाबाद।
जमानत प्रा० पत्र सं०-1547/2026
परिवाद सं० 1629/2024
विवेक बनाम पंकज आदि
धारा-323, 325, 506,504, भा०दं०सं०
थाना - कादरीगेट , जनपद फर्रुखाबाद

दिनांकः 05.06.2026

अभियुक्त पंकज राजपूत, विवेक राजपूत, शैलेन्द्र व मैकूलाल राजपूत की ओर से परिवाद सं० 1629/2024, विवेक बनाम पंकज आदि , अन्तर्गत धारा 323, 325, 506, 504, भा०दं०सं०, थाना कादरीगेट जनपद फर्रुखाबाद से सम्बन्धित मामले में आत्मसमर्पण मय जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित है।

अभियुक्तगण की तरफ से कथन किया गया है कि अभियुक्तगण को झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण द्वारा कथित अपराध कारित नहीं किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा अन्य कथनों के साथ जमानत की याचना की गयी है।

उक्त प्रा०पत्र पर परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि अभियुक्तगण अराजक किस्म के व्यक्ति है अभियुक्तगण द्वारा परिवादी के साथ मारपीट की गयी जिससे परिवादी के शरीर पर चोटे आयी । धारा 202(1)में पुलिस द्वारा घटना की जांच की गयी जिसमें घटना की पुष्टि हुयी तब न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को तलब किया गया । अतः अभियुक्तण का जमानत प्रा०पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है ।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्तगण पूर्व में अन्तरिम जमानत पर थे । अभियुक्तगण द्वारा अन्तरिम जमानत का दुरूप्रयोग किये जाने की कोई सूचना न्यायालय को नही प्राप्त है तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 528BNSS No. 21854/2025, में पारित आदेश दिनांकित 04.07.2025 में न्यायालय को जमानत प्रार्थना पत्र माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Satendra Kumar Antil Vs. Central Bureau of Investigation And another (2022) 10 SSC 51 में पारित निर्देशों के अनुसार निस्तारण करने के निर्देश दिये है। मामला परिवाद पर आधारित है। अपराध सात वर्ष की सजा से कम दण्डनीय है। अतः उपरोक्त मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त विधि व्यवस्था में पारित निर्देशों व जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण उपरोक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त पंकज राजपूत, विवेक राजपूत, शैलेन्द्र व मैकूलाल राजपूत की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण उपरोक्त प्रत्येक द्वारा रुपये (20,000) (20,000)बीस-बीस हजार की धनराशि का स्वयं का बंधपत्र व एक-एक प्रतिभू निष्पादित करने पर उक्त मामले में जमानत पर रिहा किया जाये ।

(अनामिका)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय सं० 4,
फर्रुखाबाद।